

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग



सत्यमेव जयते

झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया
राशि का समाधान विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022

विषय-सूची

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. समाधान राशि का निर्धारण।
4. समाधान हेतु आवेदन।
5. आवेदन का निपटान।
6. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण/परिशुद्धि।
7. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति।
8. अपील।
9. नियम बनाने की शक्तियाँ।

झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022

बिहार वित्त अधिनियम 1981, भाग I (1981 का बिहार अधिनियम 5) तथा झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का झारखण्ड अधिनियम 5), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74), अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36), झारखण्ड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 21), झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम, 14), झारखण्ड वृत्तियों व्यापारों आजीविका और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 02), झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम 2012, (2012 का झारखण्ड अधिनियम, 13) तथा झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपयोग एवं व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेष पर प्रवेष कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 11) के अधीन की गई कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले विवादों तथा पुरानी बकाया राशियों का समाधान करते हुए राज्य के लिए राजस्व सृजन तथा बकाया धारकों को राहत देने की तत्काल कार्रवाई करने हेतु “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022” को अधिनियमित करने हेतु विधेयक।

यह भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड की विधायिका के द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

अध्याय-१

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” कहा जा सकेगा (संक्षिप्त में “कर समाधान योजना, 2022”)

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड गज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से ६ महीने तक मान्य होगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस हेतु सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, उक्त ६ महीने की वैसी अवधि को छः महीने से अनधिक अग्रतर अवधि हेतु विस्तारित कर सकती है जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

२. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में जब तक कि मंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) “स्वीकृत कर” से अभिप्रेत है, मुमंगत अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के द्वाग दाखिल की गई विवरणियों के अनुमार स्वीकृत की गयी भुगतेय कर की राशि;
- (ii) “निर्धारित कर” से अभिप्रेत है, मुमंगत अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण के किसी आदेष के अधीन संदेय के रूप में निर्धारित कर, ब्याज एवं शास्ति;
- (iii) “आवेदक” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो मुमंगत अधिनियमों के अधीन पुराने बकाये का भुगतान करने का दायी है और जो इस अधिनियम के अधीन शर्तों के अनुपालन द्वारा समाधान की प्रसुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है;

(iv) “अपील” से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत अपील, जो कि तत्संबंधी अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लम्बित है;

(v) “कर, शास्ति एवं व्याज का बकाया” से अभिप्रेत है, 31 मार्च, 2018 को अथवा उसके पूर्व की किसी अवधि से संबंधित सुसंगत अधिनियमों के अधीन पारित किए गए कर निर्धारण, पुनर्कर निर्धारण अथवा संवीक्षा के आदेश अथवा किसी भी अन्य आदेश के अन्तर्गत करदाता द्वारा भुगतेय कर, व्याज, शास्ति अथवा किसी भी नाम से जाने जाने वाली शास्ति, जो कि इस अधिनियम के अधीन आवेदन दाखिल करने की तिथि को भुगतान हेतु लम्बित हो;

परन्तु यह कि पुराने बकाये में राज्य सरकार के द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए कर-आस्थगन योजनाओं से संबंधित कोई बकाया सम्मिलित नहीं होगा;

परन्तु यह और कि बकाया में अभियोजन के बदले में लगायी गयी शास्ति सम्मिलित नहीं होगी।

(vi) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा विशेष आयुक्त अथवा वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर आयुक्त;

(vii) “विवाद” से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न और यथा स्थिति, निम्नलिखित के समक्ष लम्बित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफरेन्स, रिट याचिका अथवा विशेष अनुमति याचिका:-

- (i) वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर/ संयुक्त आयुक्त (अपील);
- (ii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);
- (iii) वाणिज्य-कर आयुक्त;
- (iv) वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण;
- (v) केन्द्रीय विक्री कर न्यायाधिकरण;

(vi) उच्च न्यायालय;

(vii) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

व्याख्या- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ 'विवाद' में शामिल हैं -

(i) सुसंगत अधिनियम के अधीन विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा अधिरोपित कोई कर, ब्याज अथवा शास्ति जिसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया होय

(ii) बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन कर, ब्याज अथवा शास्ति की वसूली हेतु लंबित कार्यवाही;

(viii) विवाद के संबंध में, विवादित गशि से अभिप्रेत है कि कोई कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति जिसे सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश, पुनर्कर निर्धारण आदेश, जाँच अथवा कोई अन्य आदेश के द्वारा भुगतान हेतु निर्धारित किया गया है तथा जिसे स्वीकार नहीं किया गया है एवं वैसी मांग के विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकार या फोरम के समक्ष कोई वाद दाखिल किया गया हो परन्तु इसमें सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश, पुनर्कर निर्धारण आदेश, जाँच अथवा कोई अन्य आदेश से संबंधित ऐसी मांग सम्मिलित नहीं होगी, जहां सरकार द्वारा ऐसी मांग के विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकार अथवा उच्चतर न्यायालय में वाद दायर किया गया हो;

(ix) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्रेत है-

1. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) एवं झारखण्ड राज्य में अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम,
2. केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74),
3. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम 5),

4. अंगीकृत एवं संशोधित बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) एवं झारखण्ड में 2011 का संशोधित अधिनियम 10
5. झारखण्ड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 21)/इसके पूर्व के प्रशासित अधिनियम
6. झारखण्ड विज्ञापन कर, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 14)/ इसके पूर्व के प्रशासित अधिनियम
7. झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम 2011,
8. झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 13)/ इसके पूर्व का प्रशासित अधिनियम
9. झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2011

(x) “व्यक्ति” से अभिप्रेत है कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि/विक्रेता/विधिक उत्तराधिकारी जो कि किसी विवाद का पक्षकार है अथवा पुराने बकाये का धारक है एवं सुसंगत अधिनियम के अधीन विवाद/पुराने बकाये का समाधान करना चाहता है एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता है;

(xi) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित;

(xii) “विहित प्राधिकारी” - इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(xiii) “पुनरीक्षण” से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन जो आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग अथवा वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, झारखण्ड के समक्ष लम्बित हो

(xiv) “समाधान”, विवाद के संबंध में समाधान से अभिप्रेत है विवाद से संबंधित कार्यवाही का निराकरण एवं निष्कर्ष

(xv) “समाधान राशि” से अभिप्रेत है प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली कर, ब्याज एवं शास्ति की गणि, अर्थात्, अन्तिम रूप से भुगतान की जाने वाली गणि

(xvi) “वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ प्रपत्र”- से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुसंगत अधिनियमों/नियमावलियों के अन्तर्गत विहित वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ प्रपत्र

(xvii) “न्यायाधिकरण” से अभिप्रेत है विहार वित्त अधिनियम 1981 अथवा झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन गठित वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण।

वैसे शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो इसमें पारिभाषित नहीं हैं, के अर्थ वही होंगे जो सुसंगत अधिनियम अथवा उनके अधीन बनायी गयी नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किए गये हों।

अध्याय-2

विवाद का समाधान

3. समाधान राशि का निर्धारण-

(i) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, कर का पुराना वकाया अथवा सुसंगत अधिनियम के अधीन लम्बित विवाद में मन्त्रिहित कर का समाधान किसी व्यक्ति की ओर

से इस हेतु दिये गये आवेदन पर, निम्न सारणी के स्तम्भ 3 एवं 4 में उल्लेखित राशि के भुगतान के पश्चात् किया जाएगा-

सारणी

क्रं० सं०	मामलों के प्रकार	समाधान राशि	
		3 (कर)	4 (ब्याज/ शास्ति)
1.	स्वीकृत कर, ब्याज एवं शास्ति का बकाया।	स्वीकृत कर की 100% राशि	भुगतान नहीं किए गए बकाया ब्याज एवं शास्ति का 10% (90% अधित्यक्त)
2.	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के निर्धारित कर की बकाया राशि	बकाया कर राशि (निर्धारित कर के कर संभाग (Tax component) एवं पूर्व में ही भुगतान की गई कर राशि के मध्य अन्तर की राशि) का 40% (60% अधित्यक्त)	उक्त वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज एवं शास्ति की भुगतान नहीं की गई राशि का 10% (90% अधित्यक्त)
3.	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की अवधि की वैधानिक घोषणापत्रों/प्रमाणपत्रों से संबंधित बकाया राशि	आवेदक के द्वारा (क) विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए स्वीकार्य प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों/घोषणापत्रों के मूल्य में सन्विहित कर की राशि, तथा	उक्त वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज एवं शास्ति में से भुगतान नहीं की गई मांग राशि का 10% (90% अधित्यक्त)

	(ख) सकल बकाया कर- राशि में से पूर्व में ही भुगतान की गई राशि को घटाने के उपरांत शेष बकाया राशि का 50% (50% अधित्यक्त)		
4.	क्रमांक 1, 2 एवं 3 में वर्णित से भिन्न कोई विवादित बकाया	यदि विवादित कर-राशि संबंधित अवधि के किसी आदेश/कर निर्धारण/पुनर्कर निर्धारण में सम्मिलित नहीं कर लिया गया होय तो विवादित कर का 40% (60% अधित्यक्त)	वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज तथा शास्ति मद में भुगतान नहीं की गयी मांग राशि का 10% (90% अधित्यक्त)

परन्तु यह कि जहाँ पूर्व में ही भुगतान की गई राशि के साथ प्रस्तुत किये गये स्वीकार्य प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों/घोषणापत्रों में सन्निहित कर की राशि कुल बकाया राशि से अधिक हो जाती है, वहां समझौते के परिणामस्वरूप कोई कर वापसी नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि, वैसे मामलों में, जिनमें राज्य सरकार/विभाग के द्वारा उच्चतर न्यायालय में समावेदन किया गया हो, उनमें प्राधिकारी के द्वारा समाधान हेतु आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-i सिर्फ ब्याज तथा शास्ति आदेश के विरुद्ध दाखिल किए गए समाधान आवेदन पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब विधिक आदेश के अनुरूप कर के घटित भाग (Tax component) की मांग राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण- ii विवाद के समाधान के उद्देश्य से विभाग/प्राधिकारी के द्वारा निर्गत किये गये प्रत्येक विधिक आदेश /मांगपत्र को एक विवाद समझा जाएगा तथा उस व्यक्ति को प्रत्येक ऐसे विवाद के समाधान हेतु पृथक-पृथक आवेदन दाखिल करना होगा।

अध्याय III

विवादों के समाधान की रीति

4. **समाधान हेतु आवेदन-** (1) बकाया समाधान हेतु इच्छुक किसी व्यक्ति के द्वारा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत हर एक वैधानिक आदेश हेतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर, यथाविहित प्रपत्र एवं रीति में, इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुरूप अलग अलग आवेदन दाखिल किया जाएगा।

परन्तु, आवेदन दाखिल करने की अवधि को आयुक्त के द्वारा 30 दिनों से अनधिक अग्रतर अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

(2) आवेदक द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अधीन विवादित बकाया राशि से संबंधित किसी लम्बित अपील, पुनरीक्षण अथवा आवेदन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/फोरम के समक्ष याचिका दायर की जा सकेगी साथ ही आवेदन के साथ यथा विहित एक वचनबंध भी दाखिल किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति उस फोरम को भी अग्रेशित की जाएगी जिसमें सक्षम विवाद लम्बित है।

(3) धारा 2 के खंड (गपप) में यथा विहित प्राधिकारी के पास पूर्व के बकाया के किसी आवेदन के सम्बन्ध में निम्नवत परिसीमा तक वित्तीय अधिकारिता होंगी-

- (i) वाणिज्य-कर/राज्य-कर पदाधिकारी 5 लाख से अनधिक राशि तक;
- (ii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर सहायक आयुक्त 10 लाख से अनधिक राशि तक;
- (iii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर उपायुक्त 50 लाख से अनधिक राशि तक;

(iv) वाणिज्य-कर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त 50 लाख से अधिक की राशि हेतु;

परन्तु यह कि आयुक्त किसी भी आवेदन को एक विहित प्राधिकारी से दूसरे को निष्पादन हेतु अंतरित कर सकते हैं।

5. आवेदन का निपटान-

(1) विहित प्राधिकारी दाखिल किए गए आवेदन की संवीक्षा करेगा एवं यदि वह इसे सही एवं पूर्ण पाता है तो यथा विहित रीति से इस सम्बन्ध में समाधान आदेश पारित करेगा, और यदि आवेदन किसी भी प्रकार अपूर्ण अथवा अशुद्ध पाया जाता है तो इसके 15 दिनों के भीतर इन कमियों को प्रजापित करते हुए सूचना तामिल होने की तिथि में 15 दिनों के भीतर परिशोधित करने हेतु, आवेदक को एक सूचना निर्गत की जाएगी।

परन्तु यह कि जहाँ आवेदक सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा वैसी सूचना के तामिल होने की तिथि में 15 दिनों के भीतर वांछित कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी आवेदन को निष्पादित अथवा अन्वीकृत कर सकता है।

(2) धारा 4 के अधीन दाखिल प्रत्येक आवेदन का निष्पादन यथा विहित रीति से एवं समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

(3) आवेदन की पूर्णता एवं सत्यता से संतुष्ट होने पर विहित प्राधिकारी, पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक रूप में, भुगतान की जाने वाली समाधान राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए समाधान आदेश निर्गत करेगा एवं आवेदक को विहित रीति से सूचित करेगा।

परन्तु यह कि वैसे मामलों में, जहाँ किसी भी आवेदन को धारा 6 या धारा 8 के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, अपीलीय आदेश के पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा।

6. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण/परिशुद्धि- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ विहित प्राधिकारी को, स्वप्रेरणा से या किसी सूचना पर या आयुक्त के निर्देश पर, ऐसा प्रतीत हो कि आवेदक के द्वारा किसी तथ्य अथवा विषिष्टि को छुपाकर या मिथ्या अथवा असत्य जानकारी देकर समाधान का लाभ ले लिया गया है अथवा समाधान आदेश /अभिलेख में किसी प्रत्यक्ष भूल का पता चलता है तो विहित प्राधिकारी, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत समाधान आदेश पारित किए जाने के 90 दिनों के भीतर की अवधि तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किए गए अपने समाधान आदेश में सुधार या उसे प्रतिसंहत कर सकता है।

परन्तु यह कि 90 दिनों की अवधि को आयुक्त के अनुमोदन से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति -

- (1) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निष्पादन हेतु, जैसा वह ठीक समझे, समय-समय पर निदेश एवं अनुदेश निर्गत कर सकता/सकती है;
- (2) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित कोई भी प्रपत्र/उपाबंध/वर्कशीट विहित कर सकता/सकती है;
- (3) आयुक्त किसी भी अथवा समस्त आवेदन को एक विहित प्राधिकारी से दूसरे को अंतरित कर सकता/सकती है;
- (4) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर या किसी सूचना पर, किसी प्राधिकारी को समाधान आदेश का पुनःसत्यापन करने हेतु निदेशित कर सकता/सकती है। यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि आवेदक ने तथ्यों/विशिष्टियों/जानकारियों को छुपाया है या असत्य जानकारी दी है अथवा अभिलेख/समाधान आदेश में कोई प्रत्यक्ष भूल है, तो वह किसी भी विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए समाधान आदेश को

प्रतिसंहृत कर सकता/सकती है तथा निर्देशित कर सकता/सकती है कि आवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए नया आदेश पारित किया जाय।

8. अपील - (1) विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी समाधान आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के तामीला होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविहित, अधिकारिता रखने वाले प्रमण्डलीय अपर/संयुक्त अयुक्त (अपील) के समक्ष दाखिल किया जाएगा;
- (2) ऐसे अपीलीय आवेदन के दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर दिया जाएगा;
- (3) धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
- (4) अपील के निष्पादन में अपीलीय प्राधिकारी:-

 - (i) समाधान-आदेश को अपास्त कर सकता है तथा उसे प्रत्यावर्तित कर सकता/सकती है;
 - (ii) अपील को अस्वीकृत कर सकता/सकती है।

- (5) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा;

9. नियम बनाने की शक्तियाँ -

- (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयित करने हेतु, अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है।

वित्तीय संलेख

दिनांक 01.07.2017 से GST कर प्रणाली लागू हो चुकी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा पूर्व से प्रशासित कई कर अधिनियम समाहित किए गए हैं। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कर-निर्धारण मामलों के निष्पादन के पश्चात् एक बड़ी कर राशि बकाया के रूप में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। उक्त लम्बित मामलों को निष्पादित करते हुए बकाये कर की राशि का समाधान किया जाना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा करदाताओं को राहत मिलेगी।

प्रस्तावित झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)

भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01.07.2017 से GST कर प्रणाली लागू हो चुकी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा पूर्व से प्रशासित कई कर अधिनियम समाहित किए गए हैं। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत करनिधारण मामलों के निष्पादन के पश्चात् एक बड़ी कर राशि बकाया के रूप में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। उक्त लम्बित मामलों को निष्पादन एवं बकाये कर की राशि का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कर समाधान योजना प्रस्तावित है।

एतदर्थं झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 के माध्यम से कर समाधान योजना को लागू करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)

भार साधक सदस्य